HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Restoration Application No. 363/2025

In

S.B. Civil Misc. Appeal No. 3217/2019

1. Amarchand S/o Shri Rameshwar Lal, Aged About 47 Years, R/o Ward No. 3, Taranagar, At Present R/o Ward No. 18, Sardarshahar, District Churu.
2. Guddi Devi W/o Shri Rameshwar Lal, Aged About 51 Years, R/o Ward No. 3, Taranagar, At Present R/o Ward No. 18, Sardarshahar, District Churu.

----Petitioners

Versus

1. The New India Insurance Company Limited, Through Regional Manager The New India Insurance Company Limited Regional Office Sikar
2. Hamid Hussain S/o Bashir Ahmed, Resident Of Kartholi Tehsil And District Samba Police Station Brahman Jammu And Kashmir

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Bhagwana Ram
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/05/2026

अधिवक्ता प्रार्थी को रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त प्रार्थनापत्र के क्रम में तर्क है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से सिविल विविध अपील संख्या 3217/2019 प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने दिनांक 17.02.2025 को कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों की पूर्ति के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए अनुल्लंघनीय (Peremptory) आदेश पारित किया था। उक्त अवधि में अधिवक्ता आक्षेपों को दूर नहीं कर सके। न्यायालय आदेश के अनुसरण में कार्यालय द्वारा दिनांक 07.04.2025 को उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया।

उनका तर्क है कि सिविल विविध अपील अपीलार्थी के महत्वपूर्ण अधिकारों से संबंधित है। कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों को दूर नहीं करने में अपीलार्थी की लापरवाही नहीं होकर सद्भावी कारण रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर सिविल विविध अपील को पुनः नंबर पर लिया जावे। उनका यह भी कथन रहा है कि वे दो सप्ताह में कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों को दूर कर देंगे।

सुना गया। अपील प्रार्थी/अपीलार्थी के महत्वपूर्ण अधिकारों से संबंधित है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों व विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र **2,000 रूपये हर्जे** (अक्षरे दो हजार रूपये) पर स्वीकार करते हुए सिविल विविध अपील संख्या 3217/2019 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपीलार्थी अधिवक्ता को यह निर्देशित किया जाता है कि वे हर्जे की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाएं एवं कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों को दो सप्ताह के भीतर दूर करे।

(SHUBHA MEHTA),J

88-nimit/-